मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 1: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना एवं कार्य

अवधि: 6:53 मिनट

मॉड्यूल 3: विशेष किशोर पुलिस इकाई

सत्र 1: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना एवं कार्य

परिचय

बाल संरक्षण ई लर्निंग मॉड्यूल के तीसरे मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है।

यह मॉड्यूल आपको, विशेष किशोर पुलिस इकाई की अवधारणा से परिचित कराएगा, जो किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक अनिवार्य व्यवस्था है और जिसमें बच्चों के मामले में कार्य करने हेतु पुलिस को आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए हैं।

इस सत्र में आपको, विशेष किशोर इकाई की परिभाषा एवं अर्थ, इसके मुख्य कार्य तथा कौन से पदाधिकारी एवं कर्मी इसमें शामिल होंगे, इसकी जानकारी प्राप्त होगी।

यह विशेष रूप से बाल अनुकूल कार्य पद्धति तथा बच्चों के ऐसे अधिकारों से परिचित कराएगा जिन्हें उनके साथ कार्य करते समय इनसे वंचित नहीं रखा जा सकता।

यह सत्र आपको किशोर न्याय अधिनियम, 2015 किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की व्यापक जानकारी देगा और विशेष किशोर पुलिस इकाई के दैनिक कार्यों में इन्हें कैसे लागू किया जाए यह भी बताएगा।

उद्देश्य

इस मॉड्यूल की शुरूआत के पहले, आईए हम इसके उद्देश्यों की तरफ ध्यान दें। मॉड्यूल के अन्त तक आप बता सकेंगे कि:

- विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना तथा इसके मुख्य कार्य
- देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ कार्य करते समय पुलिस की भूमिका
- कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
- विशेष किशोर पुलिस इकाई की विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ

सत्र 1: विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना एवं कार्य

अब हम माड्यूल 03 के इस सत्र में विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना एवं कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र का उद्देश्य है विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन से संबंधित दिशानिर्देशों की जानकारी देना, इसके प्रमुख कार्यों तथा इससे संबंधित कर्मियों/सदस्यों के बारे में बताना।

विशेष किशोर पुलिस इकाई क्या है?

विशेष किशोर पुलिस इकाइ, किसी ज़िले या शहर या जैसा भी मामला हो, के लिए गठित पुलिस फोर्स की एक इकाई है जो अन्य किसी भी पुलिस इकाई की ही तरह है जैसे कि रेलवे पुलिस। यह इकाई बच्चों के लिए कार्य करती है। इन्हें बच्चों के साथ कार्य करने का प्राधिकार किशोर न्याय अधिनियम 2015, की धारा 107 एवं धारा 2 (55) के तहत प्रदत्त किया गया है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई की संरचना तथा रूपरेखा

अब आप विशेष किशोर इकाई की परिभाषा जानते हैं। आईए अब इसकी रूपरेखा एवं संरचना के बारे में जानें

रूपरेखा और संरचना/अधिकारी और कर्मी (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 107, किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 86 के तहत)

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर कम से कम एक पुलिस अधिकारी होगा जो सहायक उप–निरीक्षक पद से नीचे के पद का न हो, उसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया जाएगा, जो विशेष रूप से अपराध के शिकार बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाल बच्चों के मामलों से संबंधित कार्य करेगा।

राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक ज़िले या शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाइ का गठन करेगी जिसका प्रमुख एक पुलिस अधिकारी होगा जो पुलिस उप–अधीक्षक या इससे उच्च पद पर हो।

इसमें सभी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, शामिल होंगे, तथा जिनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है।

आवश्यकतानुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन के लिए रेलवे सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) या सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) में भी विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित होंगे। जहाँ विशेष किशोर पुलिस इकाई नहीं बन पाती है, वहाँ रेलवे सुरक्षा बल या सरकारी रेलवे पुलिस का कम से कम एक अधिकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में पदस्थापित होगा।

पुनरावृत्ति (रीकैप): हम देख सकते हैं कि विशेष किशारे पुलिस इकाई के अंतर्गत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि किशोर न्याय व्यवस्था में यही वह प्रथम व्यक्ति है जिसके साथ बच्चा सम्पर्क में आता है। एक वैधानिक आवश्यकता के अनुसार, हर विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए दो वैतनिक सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध होंगे जो इकाई की मदद करेंगे। ज़िला बाल संरक्षण इकाई इन सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेगी और उनकी सेवाओं को विशेष किशोर पुलिस इकाई के लिए, जब भी और जैसे भी आवश्यकता होगी, निर्धारित करेगी। दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं में कम से कम एक का महिला होना आवश्यक है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्य

आईए अब विशेष किशोर पुलिस इकाई के सभी कार्यों को समझें (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10, किशोर न्याय मॉडल नियम के नियम 86 के तहत)

- बच्चों से संबंधित पुलिस के हर कार्य का समन्वय करना।
- देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता से समन्वय करना तथा बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- जैसे ही कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा हिरासत में लिया जाता है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई उसे 24 घंटे के अन्दर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी और बच्चे के माता–पिता को सूचित करेगी।
- बच्चों के कल्याण से संबंधित मामलें जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के साथ तालमेल बिठाकर करम करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई बच्चों को कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ज़िला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के साथ भी समन्वय रख सकती हैं।
- विशेष किशोर पुलिस इकाई को, विशेष सेवा प्रदाताओं जैसे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, विशेष शिक्षकों, परामर्शदाताओं और चाइल्ड लाईन के साथ समन्वय रखेगी ताकि बच्चों को तुरन्त सहायता दी जा सके।